संख्या-85/2025/1665/002-23-9002(002)/70/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-9** **लखनऊ::दिनांक 12 मार्च, 2025**

**विषय - वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के 02 मार्गों के चालू कार्यों पर लैप्स धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-346/31पी0जे0(आ0)/आरएसडी-5/24, दिनांक 14.11.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत **जनपद सोनभद्र के 02 मार्गों के चालू कार्यों** हेतु तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में तालिका के स्तम्भ-12 के अनुसार कुल रू0 1,03,24,000/- (रूपये एक करोड़ तीन लाख चौबीस हजार मात्र) की लैप्स धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :-

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 सं0 | खण्ड/ जनपद का नाम | मार्ग का नाम | मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या | निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत/ स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति | बचत | बचत की उपरांत कार्य की लागत | शासनादेश, जिसकी धनराशि व्यपगत हुई | व्यपगत धनराशि | अब तक आवंटन | अवशेष धनराशि | वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | नि0 ख. सोनभद्र | एन0एच0-75 ई के किमी 240 से चिताउर टोला(मकरा-सेन्दुर) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य। | 66/2020/287/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0)/2019 दिनांक-19-03-2020 | --<br>--<br>125.18<br>125.18 | 1.18 | 124.00 | 112/2021/585/23-9-2021-06नाबार्ड (स0मा0)/2018, दिनांक-02-07-2021 | 41.54 | 82.46 | 41.54 | 41.54 |
| 2 | नि0 ख. सोनभद्र | महुली घोरपा मार्ग किमी 4 से बघमान्दवा होते हुए ड्योढ़ी तक सम्पर्क मार्ग एवं 113.8 रनिंग मीटर रिटेनिंग वाल तथा 5 नं0 आर0सी0सी0 पुलिया। | 52/2021/122/23-9-2021-19नाबार्ड (स0मा0)/2020, दिनांक-01-03-2021 | --<br>--<br>235.84<br>235.84 | 8.60 | 227.24 | 202/2021/1183/23-9-2021-13नाबार्ड (स0मा0)/2019, दिनांक-23-12-2021 | 61.70 | 141.96 | 85.28 | 61.70 |
| | | | | | | | | | | योग | 103.24 |

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2023, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,03,24,000 ( रुपये एक करोड़ तीन लाख चौबीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना ) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

**<u>संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:**

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in